न्यायालय जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश,त्रयोदश,सारण,छपरा।

ए.बी.पी.नम्बर 3054/26, 3095/26 एवं 3306/2026 जो तरैंया थाना काण्ड सं0 08/2017 से उत्पन्न है।

राखी सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार।

01–08–2026:– आवेदक बलीराम कुमार राम की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 3054/2026, आवेदक सोनू कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 3095/26 एवं आवेदक बिट्टू सिंह उर्फ दीपक सिंह की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 3306/2026 जो तरैंया थाना कांड संख्या 08/17 धारा 395 भा0द0वि0 में अपनी गिरफतारी की आशंका को देखते हुए दाखिल किया गया है। तीनों जमानत अर्जियां एक ही थाना कांड से संबंधित है इसलिए इनका एक साथ सुनवाई कर संयुक्त आदेश पारित किया जा रहा है।

SHRI KANT SINGH

Digitally signed by SHRI KANT SINGH
Date: 2026.08.01 16:22:03 +0530

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इसके पूर्व अभियुक्तगण की ओर से कोई दूसरा अग्रिम या नियमित जमानत किसी उपरी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक सोनू कुमार का पूर्व अपराधिक इतिहास के रूप मशरख थाना कांड संख्या 34/17 एवं बैकंठपुर(गोपालगंज) थाना कांड संख्या 28/17, आवेदक बिट्टू सिंह का पूर्व अपराधिक इतिहास के रूप बैकंठपुर(गोपालगंज) थाना कांड संख्या 28/17 तथा आवेदक बलीराम कुमार राम का पूर्व अपराधिक इतिहास के रूप जामो बाजार थाना कांड संख्या 11/17 एवं बैकंठपुर(गोपालगंज) थाना कांड संख्या 28/17 दर्ज है। आवेदकगण के पास से किसी बस्तु की बरामदगी नहीं हुई है। आवेदकगण का नाम स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। पुलिस अभियुक्तगण को गिरफतार करने पर आमादा है। अतः इन्हें धारा 482 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के अंतर्गत जमानत की सुविधा प्रदान की जाए।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया।

मामले की प्राथमिकी सूचक रामजीत राय के आवेदन पर संस्थित किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिनांक 10.

01.17 को समय करीब 7:30 बजे संध्या पोखरेरा बाजार से अपने घर जा रहे थे कि मदन साह के घर से पश्चिम तीन मुहानी से पश्चिम बढ़े कि पहले से दो मोटर साइकिल लगाकर पांच अज्ञात व्यक्ति खड़ा थे उक्त जगह पर सूचक को रोक लिये और मशरख थाना जाने का रास्ता पूछने लगे इसी दौरान एक व्यक्ति अपने हेलमेट से सूचक के सर पर मार दिया एवं तीन व्यक्ति कनपटटी पर कटटा सटा दिये एवं बोले कि साले रूपया निकालो रूपया कहां है तो डर से 28735 रूपया सहारा से निकाले थे जो दे दिये इसके बाद मोटर साइकिल का चाभी छीन लिया एवं मोटर साइकिल जो बजाज पलेटीना कलर का था लेकर पूरब दिशा के तरफ भाग गये।

आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित नहीं है परंतु कांड दैनिकी के कंडिका 27 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्तों को बैकंठपुर थाना कांड संख्या 28/17 में गिरफतार किया गया जिनके पास से इस कांड में लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ है और बलीराम राय ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस कांड के अलावा अन्य कई लूटकांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। आवेदकगण का पूर्व अपराधिक इतिहास भी है। आवेदकगण अद्यतन अपराधी रहे हैं। इन परिस्थितयों में आवेदकगण को अग्रिम जमानत सुविधा का लाभ देना न्यायसंगत नहीं समझता हूँ। अतः आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत को एतद् द्वारा **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

SHRI KANT SINGH
Digitally signed by SHRI KANT SINGH
Date: 2026.08.01 16:22:11 +0530

जिला अपर सत्र न्यायाधीश,त्रयोदश

सारण,छपरा।